



बड़ौदा यू. पी. बैंक Baroda U.P. Bank

(Sponsored by Bank of Baroda)

सार्वजनिक नीलामी

प्रधान कार्यालय: बूढ़ बिहार व्यावसायिक योजना, तारामंडल, गोरखपुर-273016
क्षेत्रीय कार्यालय- नरई बाँध, निकट गृहस्थ प्लाजा, मऊ

30.11.2021

बिक्री सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

वित्तीय आस्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुननिर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) (सरफेसी अधिनियम, 2002) साथ में पटित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8(6) के अधीन नीलामी सूचना यह कि बड़ौदा यू. पी. बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट 2002) की धारा 13(12) सपठित नियम 8 व 9 प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में विभिन्न ऋणकर्ता(ओं)/गारंटीकर्ता(ओं)/बन्धककर्ता(ओं) को मॉग पत्र जारी किया गया है जिसमें बकाया धनराशि के ब्याज सहित कथित सूचना के 60 दिनों के अंदर भुगतान करने की मांग की गयी है। यह कि निम्नलिखित ऋणकर्ता(ओं)/गारंटीकर्ता(ओं)/बन्धककर्ता(ओं) बैंक की बकाया धनराशि का भुगतान करने के असमर्थ रहें अतः एतद्वारा ऋणकर्ता(ओं)/गारंटीकर्ता(ओं)/बन्धककर्ता(ओं) और सर्वसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी बड़ौदा यू. पी. बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उनको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य ग्रहण कर लिया है, जिसका विवरण अधोवर्णित है ऋणकर्ता(ओं)/गारंटीकर्ता(ओं)/बन्धककर्ता(ओं) को विशेष रूप से तथा और सर्वसाधारण को सामान्यतया सूचित किया जाता है कि इस सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का लेन-देन न करें यह सम्पत्ति बड़ौदा यू. पी. बैंक के प्रभार के अध्याधीन है जिसमें नीचे लिखित राशि, ब्याज और अन्य खर्चे देय हैं यह कि एतद्वारा सर्वसाधारण एवं ऋणकर्ता(ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) को पुनः यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी ने हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत स्थावर सम्पत्तियों की निविदा/बिड्स/कोटेशन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। सम्पत्ति की बिक्री निम्नानुसार वर्णित तिथि के अनुसार 'जो है जैसा है, तथा 'जहाँ है जैसा है' के आधार पर की जायेगी। अतः निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हुए इच्छुक व्यक्ति अपना टेंडर बंद निविदा के माध्यम से दिनांक 29.11.2021 तक बड़ौदा यू. पी. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय- नरई बाँध, निकट गृहस्थ प्लाजा, मऊ में प्रस्तुत कर सकते हैं। सार्वजनिक निविदा तिथि 30.11.2021 को दोपहर 11.00 से 400 बजे तक बड़ौदा यू. पी. बैंक क्षेत्रीय कार्यालय- नरई बाँध, निकट गृहस्थ प्लाजा, मऊ में खोली जायेगी

क्र. सं.	बकायेदार/जमानतदार का नाम, पता	सम्पत्ति का विवरण/ स्वामी का नाम	मांग सूचना तिथि अधिग्रहण की तिथि/प्रारूप सांकेतिक/भौतिक	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य
1.	बकायेदार- श्री प्रदीप कुमार गुप्ता पता: सहादतपुरा, अलीबिल्डिंग के पास, मऊनाथ मंजन, मऊ प्रोपराइटर- मेसर्स प्रदीप इलेक्ट्रिकल एवं गारटर्स: श्री दिलिप कुमार गुप्ता पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता, पता: 273, सहादतपुरा, अलीबिल्डिंग के पास, मऊनाथ मंजन, मऊ गारटर्स/बंधककर्ता- श्रीमती लक्ष्मी सिंह पत्नी नरेंद्र प्रताप सिंह पता: 155/4 बी, परदहा मिल रोड, नई, बस्ती, मऊनाथ मंजन, मऊ शाखा: सहादतपुरा खाता संख्या- 515135010050327	सम्यक बंधक जमीन व भवन मकान नं०- 155/4 बी, परदहा मिल रोड, नई, बस्ती, मऊनाथ मंजन, मऊ भूमि व भवन: श्रीमती लक्ष्मी सिंह पत्नी नरेंद्र प्रताप सिंह के नाम रक्षित है। (1) डीड नं० 2197, दिनांक 02.08.2004, प्लाट नं० 2149, (2) डीड नं० 3547, दिनांक 02.12.2005, प्लाट नं० 2149, क्षेत्रफल- 6072.15 वर्ग फीट चौहद्दी: उत्तर- अरिमर्दन सिंह का मकान, दक्षिण- विरव विजय पाण्डे का मकान, पूरब- इंटरलॉकिंग रोड, पश्चिम- जनार्दन गिरी की भूमि	05.08.2020 15.12.2020 सांकेतिक कब्जा	Rs. 41,22,051.80 As on 30.06.2020 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	77,60,000/- 7,76,000/-
2.	बकायेदार- श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री दया शंकर गुप्ता, पता: ब्रह्मस्थान सहादतपुरा, पोस्ट- मऊनाथ मंजन, जिला- मऊ, गारटर्स: (1) श्री परमानन्द राजभर पुत्र श्री रामपती राजभर, पता: ग्राम- सामोगार, पोस्ट- अरदोना, जिला- मऊ, (2) श्री रामदरश पुत्र हरिश्चन्द्र, पता: म0न0 138 कृषिमेंडी के पास, ग्राम- खावाजाजहाँनपुर, पो 13 मऊनाथमंजन, जिला- मऊ शाखा: विकास भवन खाता संख्या- 515304030000015	सम्यक बंधक भूमि आराजी नं०- 504/9, मौजा- खावाजाजहाँनपुर, परगना व तहसील- सदर, जिला- मऊ भूमि: श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री दयाशंकर गुप्ता के नाम रक्षित है। विक्रय विलेख सं०- 3279, दिनांक- 26.05.2015, आराजी नं० 504/9, क्षेत्रफल- 2439 वर्ग फीट चौहद्दी: उत्तर- 13 फीट खड़जा रास्ता, दक्षिण- 13 फीट खड़जा रास्ता, पूरब- सहखातेदार की भूमि, पश्चिम- सेवती देवी की भूमि इत्यादि	17.10.2019 18.11.2020 सांकेतिक कब्जा	Rs. 10,19,568.00 As on 30.09.2019 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	17,07,000/- 1,70,700/-
3.	बकायेदार- मेसर्स कुमार मोटर्स प्रोपराइटर- अरविंद कुमार पुत्र इंद देव प्रसाद, पता: ग्राम- जमालपुर, पोस्ट- मो0गोहना, जिला- मऊ, गारटर्स- (1) श्री ध्यान चंद्र पुत्र मंगल देव, पता: ग्राम- भुजही, पोस्ट- सोसरवां, जिला- मऊ (2) श्रीमती तेरसी देवी पत्नी इन्द्र देव प्रसाद, पता: ग्राम- जमालपुर, पोस्ट- मो0गोहना, जिला- मऊ शाखा: मो0 गोहना खाता संख्या- 5152440300050193	सम्यक बंधक जमीन व भवन आराजी नं०- 65, मौजा- जमालपुर, परगना व तहसील- मो0गोहना, जिला- मऊ भूमि व भवन: स्व0 अरविंद कुमार पुत्र इन्द्र देव प्रसाद के नाम रक्षित है। विक्रय विलेख सं०- 2537, दिनांक- 13.09.1984, आराजी नं० 65, क्षेत्रफल- 2025.54 वर्ग फीट चौहद्दी: उत्तर- नागेन्द्र की संपत्ति, दक्षिण- पी. डब्लू.डी रोड, पूरब- शारदा देवी एवं अरविंद कुमार का मकान, पश्चिम- छगुरी देवी का मकान व दुकान	27.12.2018 11.11.2020 सांकेतिक कब्जा	Rs. 15,47,402.00 As on 30.11.2018 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	46,23,000/- 4,62,300/-
4.	बकायेदार- श्रीमती पार्वती देवी पत्नी श्री विनोद कुमार वर्मा एवं श्री सुधीर कुमार वर्मा पुत्र श्री विनोद कुमार वर्मा, पता: ग्राम-मुंशीपुरा, पो0 मऊनाथ मंजन, जिला- मऊ गारटर्स- (1) श्री रणधीर कुमार वर्मा पुत्र श्री विनोद कुमार वर्मा, पता: ग्राम-मुंशीपुरा, पो0 मऊनाथ मंजन, जिला- मऊ, (2) श्री मनोज सिंह पुत्र मदन, पता: ग्राम- अस्तुपुरा, पोस्ट-मऊनाथ मंजन, जिला- मऊ शाखा: बकवल खाता संख्या- 515404030000014	सम्यक बंधक जमीन आराजी नं०- 592, मौजा- परदहा, परगना व तहसील- मो0गोहना, जिला- मऊ भूमि: श्रीमती पार्वती देवी पत्नी श्री विनोद कुमार वर्मा के नाम रक्षित है। विक्रय विलेख सं०- 2975, दिनांक- 29.06.2017, आराजी नं० 592, क्षेत्रफल- 2440 वर्ग फीट चौहद्दी: उत्तर- गीता देवी का प्लाट, दक्षिण- प्रमीला का मकान, पूरब- कच्चा रास्ता 12 फीट, पश्चिम- नाली उसके बाद जयसिंह की जमीन इत्यादी	31.07.2019 18.11.2020 सांकेतिक कब्जा	Rs. 7,20,751.00 As on 30.06.2019 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	12,93,000/- 1,29,300/-
5.	बकायेदार- श्रीमती शैल कुमारी सिंह पत्नी श्री विरेन्द्र सिंह एवं श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 राम शंकर सिंह, पता: राजपुताना साउथ टोला माहरनियां, जिला- मऊ गारटर्स- (1) श्री बालचंद्र यादव पुत्र स्व0 शिवनाथ यादव, पता: ग्राम-कुशमौर, पोस्ट-कैथोवली, जिला-मऊ, (2) श्री राम चौहान पुत्र दुधनाथ चौहान, पता: ग्राम-बेलचौरा, पोस्ट-मऊनाथ मंजन, जिला- मऊ शाखा: मिर्जाहादीपुरा खाता संख्या- 515296510000010	सम्यक बंधक जमीन व भवन आराजी नं०- 394, मौजा- बेलचौरा, परगना- मो0गोहना, तहसील- सदर, जिला- मऊ भूमि व भवन: श्रीमती शैल कुमारी सिंह पत्नी श्री विरेन्द्र सिंह के नाम रक्षित है। विक्रय विलेख सं०- 2598, दिनांक- 04.09.2006, आराजी नं० 394, क्षेत्रफल- 2440 वर्ग फीट चौहद्दी: उत्तर- लेन रोड उसके बाद राम चन्द्र चौहान का मकान, दक्षिण- राम चन्द्र कनौजिया की भूमि, पूरब- दुबे की भूमि इत्यादि, पश्चिम- पिच रोड	26.02.2015 31.07.2015 सांकेतिक कब्जा	Rs. 4,76,762.00 As on 31.01.2015 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	16,53,000/- 1,65,300/-

विक्रय के नियम एवं शर्तें- 1. इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपनी निविदा बंद लिफाफे में (जिसके ऊपर बिड क्रम संख्या तथा प्रकाशन का दिनांक अंकित हो) देना है। 2. निविदा प्रस्तुतकर्ता को आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत (धरोहर राशि) अग्रिम रूप से बैंकर्स चेक डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जो प्राधिकृत बड़ौदा यू0पी0 बैंक के नाम देय हो निविदा पत्र के साथ सलंगन करें। अधिकतम नीलामी धनराशि (जो आरक्षित मूल्य से कम न हो) वाले निविदाकर्ता को सफल घोषित करते हुए असफल निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि बिना ब्याज के एक सप्ताह के अन्दर वापस कर दी जायेगी। 3. सफल निविदाकर्ता को निविदा राशि का 25 प्रतिशत (धरोहर राशि को छोड़कर) उसी दिन बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा तथा खरीद राशि का शेष 65 प्रतिशत का भुगतान उनकी बिक्री के लिए स्वीकृति पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर प्रत्येक दश में जमा करना होगा। यदि सफल निविदाकर्ता शेष राशि निर्धारित अवधि में जमा करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी समस्त राशियाँ जफ्त कर ली जायेंगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कारण बताये अथवा पूर्व सूचना के सबसे ऊँची/समस्त निविदा को स्वीकार / अस्वीकार / स्थगित / निरस्त करने का अधिकार है। प्राधिकृत अधिकारी नीलामी की तिथि को आगे बढ़ा सकता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी विक्रय सम्पत्ति से संबंधित किसी चार्ज, लियन, भार, प्रोपर्टी टैक्स, सरकारी ड्यूज, अन्य के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा। प्राधिकृत अधिकारी किसी प्रकार के तृतीय / अन्य पक्ष कार के क्लेम अधिकारी एवं देनदारियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। 6. सम्पत्ति उसके आरक्षित मूल्य से कम नहीं बेची जायेगी। सफल निविदाकर्ता सभी स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि का वहन स्वयं करेगा। 7. यदि दो या दो से अधिक निविदा एक धनराशि की आती हैं तो प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उनके बीच आपस में पुनः बिडिंग करा ले। 8. निविदा / विक्रय बैंक के द्वारा पुष्टि होने के अधीन होगा। सम्पत्ति की नीलामी 'जो है जैसी है' तथा 'जहाँ है जैसी है' के आधार पर की जायेगी। 9. यदि कोई ऋणी / जमानतदार / बन्धककर्ताओं नीलामी की तिथि के पूर्व बैंक को देय राशि का पूरा भुगतान कर देता है तो उसकी सम्पत्ती की नीलामी रोक दी जायेगी। इस प्रकार Security Interest Enforcement Rules, 2002 (By the Security Interest (Enforcement) Amendment Rules. 2002) धारा 13 की उपधारा (8) के अन्तर्गत ऋणी / जमानतदार / बंधककर्ता को नीलामी तिथि से पूर्व बैंक को देय राशि का पूरा भुगतान कर देने की दशा में बंधक प्रतिभूति आरिक्त को उन्मोचित कराने सम्बन्धी सभी अवसर उपलब्ध है। 10. यह निविदाकर्ताओं का उत्तरदायित्व है कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्तियों का निरीक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो लें, सम्पत्तियों के निरीक्षण हेतु संबंधित शाखा से पहले से समय लेकर किसी भी कार्य दिवस को दोपहर 02.00 बजे से 05.00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं। 11. यह सेल नोटिस ऋणकर्ता(ओं)/गारंटीकर्ता(ओं)/बंधककर्ता(ओं) के लिये विशेष रूप से तथा जनता / सर्वसाधारण के लिये सामान्य रूप है। 12. विस्तृत जानकारी / विवरणी हेतु बैंक की वेबसाइट <https://www.barodagraminbank.com/sarfaesinotice.php> पर उपलब्ध है।

सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत विक्रय हेतु 30 दिवसीय वैधानिक सूचना

उपरोक्त ऋण ग्रहीता / जमानतदारों / बंधककर्ता(ओं) / विधिक उत्तराधिकारियों को नोटिस दी जाती कि वे नीलामी की तिथि से पूर्व उपरोक्त राशि का भुगतान बैंक को कर दें, इसमें असफल रहने पर बन्धक सम्पत्ति की नीलामी नियत तिथि को कर दी जायेगी तथा शेष बकाया राशि, यदि कोई हो, की वसूली आपसे ब्याज व लागत सहित की जायेगी।

नोट : प्रकाशन सावधानीपूर्वक किया गया है। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधित शाखा से संपर्क किया जा सकता है।

दिनांक - 26.10.2021 स्थान - मऊ प्राधिकृत अधिकारी